संख्या-03/2018/03/84-1-2018-13बामा/2011

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1** लखनऊ: दिनॉक 13 फरवरी, 2018

विषय:- राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13/निविमावि-लेखा 7(25)मॉग/2017-18, दिनॉक 08 जनवरी2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध धनराशि में से रू0 18.70 लाख की हो रही बचत को पुनर्विनियोग करते हुए अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय में कुल रू0 18.70 लाख (रूपये अटठारह लाख् सत्तर हजार) मात्र संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माग नहीं की जायेगी।
(5) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय 01-वेतन मद में संलग्न बी0एम0-9 के कालम-3 में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत मद में संलग्न बी0एम0-9 के कालम-12 के अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-93/दस-18, दिनॉक 31.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

( वेद प्रकाश शर्मा )
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2018/03(1)/84-1-2018-13बामा/2011 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( वेद प्रकाश शर्मा )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in